

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी- श्री ओ०पी० बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 32/2014

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम्

अप्रार्थी

गोपीकिशन पालीवाल पुत्र वीराराम
पालीवाल जाति पालीवाल निवासी
पालीवालों का वास पचपदरा जिला
बाड़मेर (एफ.बी.ओ) मैसर्स गुरुदाता दूध
सप्लायर, पचपदरा जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुनील बी. रामावत अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.11.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 9.10.2014 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी के दौरान गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स गुरुदाता दूध सप्लायर, पचपदरा दोपहर 01.00 बजे पहुँचने पर डेयरी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम पता पूछने पर अपना नाम गोपीकिशन पालीवाल पुत्र वीराराम पालीवाल जाति पालीवाल निवासी पालीवालों का वास पचपदरा (एफ.बी.ओ.) मैसर्स गुरुदाता दूध सप्लायर पचपदरा बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त दूध डेयरी का निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे फ्रीज के खण्ड में दूध (गाय का) करीबन 35 लीटर आम जनता को विक्रय करने हेतु पाया गया। मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध खरीदा एवं उसे चार कांच की साफ सुखी खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 60/- रुपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया एवं उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये तथा स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी.367 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर


किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.367 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध (गाय) नमूना पी-367 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/563/एक्ट/2014/579 दिनांक 16.10.2014 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होकर अवमानक स्तर का पाया गया। उक्त प्रकरण में पेय पदार्थ दूध (गाय) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.367 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

- परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से श्री सुनील बी. रामावत अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को लोक अदालत की भावना के मध्यनजर रखते हुए न्यूनतम जुर्माना आरोपित कर, निस्तारण करने का निवेदन किया गया।


71
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 9.10.2014 को मैसर्स गुरुदाता दूध सप्लायर पचपदरा का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे फ्रीज के खण्ड में करीबन 35 लीटर दूध (गाय) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ पाया गया। दूध (गाय) का नमूना पी.367 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/563/एक्ट/2014/579 दिनांक 16.10.2014 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी. 367 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी गोपीकिशन द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत अवमानक स्तर (Sub Standard) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5000/—(अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 12.11.2016 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।




 (ओपीओबिशनोई)
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज तारीख 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर